पत्रावली आज न्याय आपके
द्वार अभियान -2017 के तहत आयो-
जित राजस्व लोक अदालत के कैम्प-
खटकड़ में पेश हुई। दौराने लोक
अदालत पक्षकारान में वादी, प्रति-
वादी नं० 1 व वादी की बहिन
गंगा देवी उपस्थित आये जिनकी
पहचान श्री बलराम यादव सरपंच
ग्राम पंचायत खटकड़ ने की। उक्त
उपस्थित पक्षकारान ने उपस्थित
होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय
का पेश किया कि पक्षकारान द्वारा
पेश वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा
दिनांक 05-07-16 के आधार पर
पत्रावली का फैसला किया जाता है तो
हमें कोई एतराज किसी किस्म का
नहीं होने बाबत अपनी- अपनी
सहमति व्यक्त की। पक्षकारान द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो व
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात
का अवलोकन किया गया। जिनके
अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र
की मद नं० 1 ता 6 में दर्ज कृषि
वादग्रस्त भूमि की खातेदारी
वादी, प्रतिवादी नं० 1 व मृतक सिण-
गारी बेवा हीरा व मृतक हीरा पुत्र मूला
के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व
प्रतिवादी नं० 1 आपस में एक ही

ह. शिवनारायण

नि. ...

नि. गंगा देवी

पहचानकर्ता

(बलराम यादव)
सरपंच
ग्राम पंचायत खटकड़
पं. स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

6-

परिवार के सदस्य है। जो वाद पत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से भी स्पष्ट होती है। उक्त भूमियॉ पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमियॉ है। जिसका पक्षकारान के मध्य आपसी पारिवारिक बाहमी समझौता अर्सा करीब 25-30 वर्ष पूर्व हो गया था। उक्त बाहमी समझौता अनुसार ही निरन्तर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसके अनुसार ही पक्षकारान ने दिनांक 5-7-16 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। इसी प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार ही वाद पत्र का फैसला किये जाने हेतु पक्षकारान ने लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है/ वाद पत्र के समर्थन में वादी शिवनारायण ने स्वयं का मुख्य परीक्षण हेतु शपथ पत्र, प्रतिवादी बोदू उर्फ बोदया पुत्र सरदारा का शपथ पत्र, साक्ष्य वादी में गवाह कजोड़मल, कालूराम, ने भी शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति दी है। जिससे भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की पुष्टि होती है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पैतृक सम्पत्ति से सम्बन्धित होकर एक ही सजरा खानदान परिवार का होने से

[illegible]

राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से बरबर राजीनामा दिनांक 05-07-2016 से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील वादी द्वारा पेश वाद पत्र राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर बरबर राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 05-07-2016 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी भाँति पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28-06-2017 को न्याय आपके द्वार अभियान-2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प-खरकड़ा के अटल सेवा केन्द्र पर मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(ब्रह्म लाल जाट)
RAS
सहायक कलक्टर
फास्टट्रेक
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प-खरकड़ा